

Power theft: Businessman gets two years of jail and Rs 1.15 Cr penalty

A special Court of Electricity has been awarded a 2-year jail term and a penalty of around Rs. 1.15 crore (Fine Rs. 68.83 lakh + Civil Liability Rs. 45.89 lakh for power theft. He was caught stealing 45 KW of power during an inspection in 2013.



While sentencing the accused, the Court said, ".....accordingly, the interest of justice shall be served by directing the convict to undergo SI for a period of two years. So far as imposing of fine is concerned, under Section 135 of the Electricity Act, as the connected load was found more than 10 KWs in the present case, as per first proviso to Section 135 of the Electricity Act, there is minimum mandatory fine which is 3 times of financial gain on account of such theft of electricity on first conviction"

Talking about the nature of offence, the Court said, "In the light of law laid down and particularly considering the facts and circumstances of the present case, I am of the considered opinion that this is an economic offence wherein the society as a whole is the victim and the honest payers of electricity charges are the sufferers on account of the proved conduct of the convict...."

BYPL to have 250 MW of wind-power in power bucket

BSES is committed to sustainable growth, while ensuring minimum burden on the consumers. As part of this, BYPL has inked a Power Sale Agreement with SECI (Solar Energy Corporation of India) to procure 100 MW of wind-power. Being available at a very competitive tariff, the power will be available from FY 2020-21 for a period of 25 years. With this latest agreement, BYPL has signed agreements for a whopping 250 MW of wind power.



Have solar panels installed, generate electricity

You can generate electricity on your own and save money in form of electricity bills by getting solar panels installed on your rooftop. BYPL has, so far, given 283 rooftop solar net metering connections, which has 17,500 KW of power generation capacity. If you too want information and advise on rooftop solar panels and avail the benefits of netmetering system, you can contact BYPL through the following mediums:



011 39999808/ 19122



netmetering.bypl@relianceada.com



BYPL employees donate warm clothes to needy

In a month long warm clothes collection drive "Aasra Sukoon Ka", BYPL staff in all 14 Divisions donated approximately 2000 warm clothes to the needy. The collected clothes were handed over to NGO Sofia Educational and Welfare Society for further disbursements to the people in night shelters

As per DERC (Supply Code & Performance Standards) Regulations, 2017, after a consecutive period of three billing cycles, the licensee may stop the delivery of hard copy of the bill.

FEEDBACK

Send in your feedback to: Corporate Communications, BSES Yamuna Power Limited. Registered Office: Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032, CIN:U40109DL2001PLC111525, Tel: 011- 399-97-111/ 399-99-273, E-mail: bypl.Feedback@relianceada.com, Website: www.bsesdelhi.com

Register 'No Supply' complaints through convenient options like Mobile App, Toll Free and Helpline Numbers



Available on the App Store

Available on the Google Play Store



Toll Free 24x7
19122



Call 24x7
011-399 99 808



SMS
5616108



Power theft related
8588892156
No Supply complaints
8745999808



Streetlight
41999808

बिजली चोरी: बिजनेसमैन को दो साल की जेल, 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना

पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर इलाके के एक बिजनेसमैन को बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में दो साल जेल की सजा सुनाई है और करीब 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना (68.83 लाख फाइन तथा 45.89 लाख सिविल लायबिलिटी) भी किया है। बिजनेसमैन 2013 में एक जांच के दौरान, 45 किलोवॉट की बिजली चोरी करते पकड़ा गया था। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 135 के तहत उसे दोषी करार दिया गया।



आरोपी को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा— ... इस मामले में न्याय के तकाजे के तहत, दोषी व्यक्ति को दो साल की साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने कहा—जहां तक जुर्माने का सवाल है, तो, इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 135 के तहत, इस मामले में बिजली का कनेक्टेड लोड 10 किलोवॉट से अधिक पाया गया था, और ऐसे में, इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 135 के तहत, पहली बार दोषी साबित हुए व्यक्ति के लिए, पहले प्रावधान के तौर पर, बिजली चोरी से हुए वित्तीय लाभ का कम से कम तीन गुणा जुर्माना आवश्यक है।

अपराध की प्रकृति की बात करते हुए कोर्ट ने कहा — वर्तमान केस में लागू कानून तथा तथ्यों व परिस्थितियों की रोशनी में, मेरा यह विचार है कि यह एक आर्थिक अपराध है, जहां दोषी व्यक्ति के कार्यों से पूरा का पूरा समाज उत्पीड़ित है और ईमानदारी से बिजली के शुल्कों का भगतान करने वाले भी पीड़ित हैं ...।

बीवाईपीएल के पावर बकेट में होगा 250 मेगावॉट विंड पावर

उपभोक्ताओं पर न्यूनतम बोझ सुनिश्चित करते हुए, बीएसईएस टिकाउ विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। अपने इसी संकल्प के तहत, बीवाईपीएल ने 100 मेगावॉट विंड पावर खरीदने के लिए सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। बेहद प्रतियोगितात्मक दर पर उपलब्ध यह बिजली वित्त वर्ष 2020-21 से मिलनी शुरू होगी और अगले 25 वर्षों तक मिलेगी। इस हालिया समझौते को मिलाकर, बीवाईपीएल अब तक 250 मेगावॉट विंड पावर के लिए समझौते कर चुकी है।



सौर ऊर्जा के पैनल्स लगावाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं

आप अपने घर/ ऑफिस की छत पर सौर ऊर्जा के पैनल्स लगाकर, अपने लिए खुद बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और बिजली बिल के तौर पर पैसे बचा सकते हैं। अब तक बीवाईपीएल रूफटॉप सोलर नेटमीटरिंग के 283 कनेक्शन दे चुकी है, जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 17,500 किलोवॉट है। अगर आप भी रूफऑप सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी व सलाह चाहते हैं तथा नेटमीटरिंग सिस्टम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप बीवाईपीएल से निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:



011 39999808/ 19122



netmetering.bypl@relianceada.com



बीवाईपीएल कर्मियों ने जरूरतमंदों को दिए गर्म कपड़े

बीवाईपीएल ने जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े बांटने के लिए अपने स्टाफ के बीच एक महीने का अभियान "आसरा सुकून का" चलाया था। इस अभियान के तहत, बीवाईपीएल के सभी 14 डिविजनों के कर्मियों ने करीब 2000 गर्म कपड़े डोनेट किए। जमा किए गए कपड़े नाइट शेल्टर्स में रहने वाले लोगों के बीच बांटने के लिए एनजीओ सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को सौंप दिए गए।

डीईआरसी (सप्लाइ कोड एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स) रेगुलेशंस, 2017 के मुताबिक, लगातार तीन बिलिंग साइकल की अवधि के बाद, लाइसेंसी बिल के हार्ड कॉपी यानी कागज वाले बिल की डिलिवरी रोक सकता है।

फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़ूमा, दिल्ली-110032, सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525
फोन: 11-399-97-111/399-99-273
ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsedelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



Available on the
App Store

Available on the
Google Play



टॉल फ्री 24x7
19122



कॉल 24x7
011-399 99 808



एसएसएस
5616108



बिजली चोरी संबंधी
8588892156
बिजली गुल की शिकायत
8745999808



स्ट्रीटलाइट
41999808